जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 140/2015 श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23के ब्लाक श्रीगंगानगर बनाम सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19-01-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र सं0 5163 दिनांक 15/17.08.15 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः-

> श्री महावीर प्रसाद द्वारा दिनांक 29.01.2014 को माननीय एडीएम सिटी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन महावीर बनाम राधेश्याम गोयल एवं अन्य में प्रस्तुत प्रकरण के दूसरा पैरा की 6वीं लाईन में यह तथ्य
>
> "कि एक बार पुलिस द्वारा किये जाने पर किसी व्यक्ति को यह अधिकार नही हो जाता कि वह उसी अपराध को पुनः करें और उसके लिए पुलिस कोई कार्यवाही न करें"
>
> 1- पुलिस द्वारा जिलस आदेश/पत्र से जिस दिवस पाबन्द किया गया है उस दिवस में आदेश व पत्र की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
>
> 2- उस पुलिस अधिकारी का नाम व पद की सूचना जिस आदेश से पाबन्द किया गया है व प्रमाणित प्रतिलिपि।
>
> 3- इस पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकारों का नाम व पद व कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त सूचना सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक श्रीगंगानगर द्वारा जान बूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं राज0 सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत प्रत्यर्थी के विरूद्ध 25000रूपये हर्जाना लगाया लगाया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवेदन संख्या 2908 दिनांक 19.10.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि समन्वयक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ श्रीगंगानगर के पत्र सं0 784 दिनांक 19.08.2015 के सलंग्न प्राप्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पंजिबद्ध पत्र सं0 2427 दिनांक 24.08.2015 द्वारा आवेदक श्री राधेश्याम गोयल को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक श्री राधेश्याम गोयल द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील ज्ञापन दिनांक

कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

05.10.2015 के बिन्दु सं0 7 में मिथ्या एवं आधारहीन तथ्य प्रस्तुत किये है कि सूचना जान बूझकर उपलब्ध नही करवाई है क्योंकि अपेक्षित सूचना उनके द्वारा जारी पंजिबद्ध पत्र सं0 2427 दिनांक 24.09.2015 द्वारा उसे उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 2427 दिनांक 24.08.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

> विषयान्तर्गत सन्दर्भित आवेदन पत्र के कम में निवेदन है कि आपके द्वारा प्रकरण शीर्षक महावीरप्रसाद बनाम राधेश्याम गोयल व अन्य में प्रस्तुत आवेदनपत्र की बाबत सूचना चाही गयी है प्रथमतयः इस न्यायालय के समक्ष महावीरप्रसाद बनाम राधेश्याम गोय व अन्य के नाम पर न तो विचाराधीन है व न ही पुलिस थाना जवाहरनगर श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत ही किया गया है।
>
> सन्दर्भित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से यदि आपका आश्य प्रकरण संख्या 63/2015 शीर्षक राज्य सरकार बनाम महावीरप्रसाद व अन्य से है? तो इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 63/2015 शीर्षक राज्य सरकार बनाम महावीरप्रसाद व अन्य इस कार्यालय के पत्रांक अपराधिक/2015/1051 दिनांक 04.05.2015 द्वारा श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश, न्याया. अ.ज./ज.जा. (अ.नु.प्र.) श्रीगंगानगर को प्रेषित की जा चुकी है चूंकि संबंधित पत्रावली इस कार्यालय में उपलब्ध नही है इसलिए आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है यदि आप इस निर्णय के विरूद्ध अपील करना चाहे तो सक्षम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष परिसीमा अवधि में अपील कर सकते है।

चूंकि अपीलार्थी को चाही गई सूचनांओ के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड पत्र सं0 2427 दिनांक 24.08.2015 (रजिस्ट्री सं0 आरआार 785435296/ एन दिनांक 27.08.15) से समय अवधि में ही सूचित किया जाकर स्पष्ट किया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर